



0105



5



मनोज मिश्रा  
 ग्राम खलखो  
 तालुका उराँव  
 जिला सिमडेगा  
 13/7/09

04AA 000360/09



मनोज मिश्रा  
 13/7/09


मन्सुख २६ का आवेदन एवं खलखो  
 अर्पणकारी के प्रति 1908 की प्रा  
 46... I... Pro... के अर्पण  
 1159; भारतीय स्टाम्प अधिनियम  
 प्राविष्ट (स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनु  
 का 1 के अन्तर्गत I.A. with the permission  
 प्रथम कक्षा के स्टाम्प by LRDC Simdega vide  
 प्राविष्ट (की स्टाम्प अधिनियम) के तहत  
 का स्टाम्प अर्पण करके स विम २२  
 484/2008-09  
 order dated  
 13/7/09 11-06-09

ANSWER  
 13.7.09

१।१ लेख्यकारी :- श्री दोनातुम खलखो पिता स्व० सामुएल  
 खलखो, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम-  
 गोतरा मरिष्मपुर, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।  
 जिला ।

पत्र संख्या :- 446/09

Mansoj Misra  
 S/o - Late Esdor Misra  
 Vill. Khijeri Samtoli  
 P.S + Dist - Simdega  
 13/7/09



--2--

§2 § लेख्यधारिणी: - श्रीमति अजिता मिज पति श्री मनोज मिज जाति- उराँव, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम-खिजरी मामटोली थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. कृतिता ।

पत्र-पत्र संख्या: - 447/09

§3 § लेख्यप्रकार: - विक्रय पत्र केवल विला कलामी पुत्र पुरातिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4 § मूल्य: - मोबलिया तीन लाख बीस हजार रुपये अंके 3, 20, 000/- रुपये होता है ।

§5 § सम्पति: - एराजियात अन्दर मौजा- गोवृथा मरियमपुर थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 213 §दो सौ तेरह § प्लॉट नं० 3075 §तीस सौ पचहत्तर § रकबा 0.20 एकड़ §बीस हिस्समिल § आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी: -


उत्तर: - इसी प्लॉट में छोड़ा गया रास्ता,

दक्षिण: - हरिना तिग्गा का मकान घेरा,

पूरब: - इसी प्लॉट का दूसरा अंश टांड,

वैनायु न बलावा  
13/7/09

श्री २११२  
पिता श्री केचर साहू  
गाम सलेडा डिपारेली  
थाना + जिला - सिमडेगा  
13-7-09



--3--

परिच्छेद:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया रास्ता ।  
माल्गुजारी 7 पैसा १सात पैसा १ अलावे में सलाना ।

१।१ चूंकि मुझ लेख्यकारणी को मकान खाने एवं अन्य तीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

१२। इस लिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर तो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल तो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी तो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१३। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी खरीदगी जमीन है । जिसे मैंने निबंधित केवाला संख्या 768 दिनांक 20. 11. 2001 के अनुसार खरीदा हूँ । दाखिल खारिज वाद संख्या 640आर27/08-09 के द्वारा मेरे निज नाम से दाखिल खारिज हो चुका है और माल्गुजारी की रसीद मेरे खास नाम से कटती है । बाद खरीदगी के उक्त जमीन

दिनांक 13/7/09



--4--

पर मेरा निर्विवाद हक देखल वो कच्चा है और किसी प्रकार का वाद या झगडा झंकाट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानांगपुर कार्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 484/2008-09 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 11. 6. 09 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 465 §1, §1 दिनांक 11. 6. 09 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर काबिज तो देखनकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लाने तो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय में अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से व अदाय मात्तुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला क्लामि सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

श्रीमान् सुब्रह्मण्य  
18/7/09



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

दीनानुस खन्नाली  
1317109




प्रमाणित किया गया है की लेख्यकारी श्री दीनानुस खन्नाली  
के जारी दस्ता की पोली कॉपियों का आप गैर एमएल  
किया गया।

Shiv Kumar Singh  
Advocate  
13/07/09

दीनानुस खन्नाली  
1317109


मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो  
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अंजोला मिंज  
1317109



प्रमाणित किया गया है की लेख्यधारिणी श्री अंजोला मिंज  
के जारी दस्ता की पोली कॉपियों का आप गैर एमएल  
किया गया।

Shiv Kumar Singh  
Advocate  
13/07/09



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।


सही/-

Shiv Kumar Singh  
 Advocate  
 प्रारूपकर्ता १३/०१/०९

तारीख:-

योग प्रशास्त्रालय  
 १३/०१/०९

5/0  
 Vu  
 P.



-7-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो छहिन रहित वो नक्सा सडित है ।

टंकक

श्री ० नकमुद  
13-7-2009

मो० मकसुद  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

वीना सुप्रबलादी  
13/7/09